न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 250/2023 (रिमाण्ड प्रकरण)

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. भंवरलाल पुत्र जोराराम विश्नोई **2. खेताराम पुत्र रिडमल राम विश्नोई** **3. पप्पुराम पुत्र सुखराम विश्नोई** **4. सुवटी पत्नी रूपाराम विश्नोई** (निवासी उदाणियों की ढाणी, तह0 फलौदी, जिला जोधपुर)		**राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी, जिला जोधपुर**

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी फलौदी आदेश कमांक 1202–03 दिनांक 7.10.22

उपस्थिति –

1. श्री रोशनलाल वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 03.05.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी फलौदी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.222 के द्वारा तहसीलदार फलौदी द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम उदाणियों की ढाणी के खसरान नम्बर 241 की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही 0.3884 हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरा नम्बर 241 की भूमि में से 0.3884 हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। मौके पर रास्ता चालू है, जिससे हटकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वस्तुतः अपीलांट्स द्वारा अपनी खातेदारी के खसरा नं0 206 में रास्ता दिये जाने हेतु हस्ताक्षर किये गये थे, जिसके साथ में खसरा नं0 241 में से रास्ते का आदेश पारित कर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दिया गया। उक्त खसरान के आगे पीछे कोई रास्ता मौजूद नही है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस तामिल नंही करवाये गये तथा गलत रूप से तामिल मानते हुए बिना सुनवाई एकतरफा कार्यवाही की गई है। अपीलाधीन आदेश की आड में प्रत्यर्थी राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन कर अपीलांट्स को मौके से बेदखल करने को आमदा है। जिससे मौके पर विवाद उत्पन्न होने व अनावश्यक मुकदमेंबाजी की संभावना है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत उक्त अपील में पूर्व पारित निर्णय दिनांक 13.7.23 को वर्तमान अपीलांट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में चुनौति दी गई। मा0 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत राजस्व द्वितीय अपील सं0 6392/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.23 द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 13.7.23 को निरस्त करते हुए प्रकरण आवश्यक निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः तदनुसार पुनः विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों तथा प्रकरण में पूर्व पारित निर्णय दिनांक 13.7.23 एवं माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा इस मामले में प्रस्तुत राजस्व द्वितीय अपील सं0 6392/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.23 का ध्यान पूर्वक अवलोकन व मनन किया। उक्त समस्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक 1202–03 दिनांक 07.10.2022 को निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी फलौदी को इस निर्देश के साथ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

03/05/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर